डिकरी व सीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)
अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** मुकाम **भरतपुर**
व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या 106/15 (223 आर.टी.एक्ट)
आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2015/00125
उनवानी :–

1. सुरेश चन्द पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति जाट नि0 गॉव अनीपुर तहसील व जिला भरतपुर बगै0**(विस्तृत उनवान पृष्ठ पर अंकित है)**

.....अपीलांट।

बनाम

1. अनीता पुत्री पूरन सिंह जाति जाट निवासी ग्राम कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर बगैराह **(विस्तृत उनवान पृष्ठ पर अंकित है)**

..... रैस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 06.07.2015 प्रकरण संख्या 409/08 उनवान सुरेशचन्द बनाम अनीता न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर।

यह अपील .....12.....माह.....09.....सन्.....2023.....व हमारे .....श्री महाराज सिंह डागुर एड. ..... मिनजानिब अपीलाण्ट , श्री गोविन्द सिंह डागुर रैस्पोडेण्ट उपस्थित समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि... **अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.07.2015 यथावत रखें जाते हैं।**
(खर्चा अपील.....का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग.....) रूपये.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का.....अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....12.....माह.....09.....सन्.....2023.....को जारी की गई।

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उनवानी :–

1. सुरेश चन्द
2. कम्पाउण्डर
3. कप्तान सिंह

} पुत्रान राजेन्द्र सिंह जाति जाट नि0 ग्राम अनीपुर तहसील व जिला भरतपुर।

..... अपीलांट।

बनाम

1. अनीता पुत्री पूरन सिंह जाति जाट निवासी ग्राम कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर मन्दबुद्वि द्वारा वाद मित्र पूरन सिंह पुत्र रामखिलाडी जाति जाट निवासी कवई तहसील नदबई जिला भरतपुर ।
2. पूरन सिंह पुत्र रामखिलाडी जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेण्ट।

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 106/15 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2015/00125

उनवान

1. सुरेश चन्द
2. कम्पाउण्डर
3. कप्तान सिंह

} पुत्रान राजेन्द्र सिंह जाति जाट नि0 ग्राम अनीपुर तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. अनीता पुत्री पूरन सिंह जाति जाट निवासी ग्राम कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर मन्दबुद्धि द्वारा वाद मित्र पूरन सिंह पुत्र रामखिलाडी जाति जाट निवासी कवई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. पूरन सिंह पुत्र रामखिलाडी जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 06.07.2015 प्रकरण संख्या 409/08 उनवान सुरेशचन्द बनाम अनीता न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर।

अभिभाषकगण :–

1. श्री महाराज सिंह डागुर अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री गोविन्द सिंह डागुर अभिभाषक रैस्पो0 उपस्थित ।

निर्णय दिनांक :–12.09.2023

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय दिनांक 06.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादीगण/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादिया संख्या 01 जन्म से ही पूर्णतया मन्दबुद्धि है, जिसे अच्छे व बुरे का ज्ञान नहीं है एवं वह अपने पिता के संरक्षण में रहती है। वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम अनीपुर तहसील भरतपुर पर वादीगण/अपीलाण्ट हिस्सा बराबर के काबिज खातेदार कृषक हैं। वादीगण का भाई स्व0 प्रवीण कुमार की मृत्यु दिनांक 27.03.2008 को हो गयी थी। उसने दिनांक 18.01.2008 को गवाहो की उपस्थिति में मौखिक वसीयत वादीगण/अपीलाण्ट के पक्ष में कर दी थी। प्रतिवादिया संख्या 01 की जबरन शादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

उसके पिता ने प्रवीण कुमार से दिनांक 18.06.2005 को की थी। प्रतिवादिया संख्या 01 व प्रवीण कुमार के मध्य पति पत्नि के संबंध कभी नहीं रहे। प्रतिवादी संख्या 02 गुपचुप तरीके से मृतक प्रवीण के हिस्से पर प्रतिवादिया संख्या 01 के नाम दाखिला खारिज खुलवाने पर उतारू है। अतः वाद प्रस्तुत कर दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, वाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलव किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया एवं जो साक्ष्य प्रस्तुत की गयी उन पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया। अपीलाण्ट एवं उनके चौथे भाई प्रवीण कुमार ने अपने पिता स्व0 राजेन्द्र सिंह से समभाग उत्तराधिकार विवादित आराजी प्राप्त की है। प्रवीण कुमार की मृत्यु निःसन्तान होने के कारण अपीलाण्ट को जरिये मौखिक वसीयत प्रवीण कुमार की आराजी प्राप्त हो गयी है। रैस्पो0 का विवादित आराजी में कोई हिस्सा नहीं है। रैस्पो0 संख्या 01 अनीता मन्दवुद्धि है एवं अपना भला वुरा नहीं समझती है। इसलिये उसे कोई अधिकार उत्तराधिकार प्राप्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू पर कोई गौर नहीं किया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलाण्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने के कुल छः अवसर दिये गये हैं। अतः अपीलाण्ट का यह कथन साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला, झूठा व निराधार है। वादी का मैरिट पर कोई प्रकरण ही नहीं बनता है। अपीलाण्ट अपने पक्ष में मौखिक वसीयत बताता है। परन्तु मौखिक वसीयत के आधार पर कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त निर्णय पारित किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट मौखिक वसीयत के आधार पर अपने मृतक भाई प्रवीण कुमार की खातेदारी की आराजी पर प्रवीण कुमार की पत्नि को मानसिक बीमार होना कथन करते हुये मृतक की आराजी पर खातेदारी अधिकार चाहते हैं। हमने पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। अपीलाण्ट स्वयं प्रवीण कुमार की मृत्यु निःसन्तान होना एवं उसकी शादी अनीता से होना कथन करते हैं। विधि अनुसार प्रवीण कुमार की मृत्यु निःसन्तान होने पर उसकी खातेदारी की आराजी विरासतन उसकी पत्नी पर प्रकान्त होगी। अपीलाण्ट उसकी पत्नि को मानसिक तौर पर बीमार होना बताते हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

परन्तु उनके द्वारा ना तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं ना ही हस्तगत अपील में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा सक्षम मैडीकल अधिकारी का प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया है। अतः विना दस्तावेजी साक्ष्य मौखिक कथन सहज मान्य नहीं है। जहॉ तक मौखिक वसीयत का प्रश्न है। हमारी दृष्टि में मौखिक वसीयत के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार सृजित नहीं होते हैं। इसके अलावा अपीलाण्ट ने ऐसी कोई साक्ष्य भी पेश नहीं की है, कि उनके द्वारा मौखिक वसीयत किन गवाहों के समक्ष करायी गयी। दौराने वहस अभिभाषक अपीलाण्ट ने कथन किया कि, अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला। अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावें। इस वावत् हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट वादी को अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के दिनांक 12.09.2013 से 11.06.2014 तक मय कोस्ट, भरपूर समय दिया गया है। परन्तु उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। इस प्रकार वादी/अपीलाण्ट का उक्त तथ्य की साक्ष्य का अवसर नहीं दिया, सारपूर्ण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की, प्रत्येक तनकी पर कारण सहित विवेचना करते हुये तनकीवार तार्किक निर्णय पारित किया है। लिहाजा हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.07.2015 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें एवं बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 12.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

12.09.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर